

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1817]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 29, 2017/आषाढ़ 8, 1939

No. 1817]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 2017/ASADHA 8, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

का.आ. 2039(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का लोक हित में प्रयोग करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति या उद्यम जो उक्त अधिनियम की धारा 5 में यथाउल्लिखित संयोजन का एक पक्ष है, को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में वर्णित तीस दिन के भीतर नोटिस देने के उपबंध से उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क) और धारा 43क के उपबंधों के अध्यधीन शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए छट दी जाती है।

[फा. सं. 5/9/2017-सीएस]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2017

S.O. 2039(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts every person or enterprise who is a party to a combination as referred to in section 5 of the said Act from giving notice within thirty days mentioned in sub-section (2) of section 6 of the said Act, subject to the provisions of sub-section (2A) of section 6 and section 43A of the said Act, for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 5/9/2017-CS]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

4003 GI/2017